



UPFZ040234172019

Reg. No.1273/2024

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम, अयोध्या

एफ०आर०वाद संख्या- 97/2023

मु०अ०सं० 31/2020

धारा:- 376,313,323,504,506 भा०दं०सं०

शिल्पा यादव बनाम जय प्रकाश यादव।

थाना- कैण्ट, जनपद अयोध्या।

दिनांक: 05.06.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादिनी मुकदमा मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

मु०अ०सं०- 31/2020 अन्तर्गत धारा- 376, 313, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना- कैण्ट, जनपद-अयोध्या, के प्रकरण में विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट सं०- 69/2020 दिनांकित 12.08.2020 न्यायालय में प्रेषित की गयी है।

उक्त अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने हेतु वादिनी मुकदमा को नोटिस प्रेषित की गयी। वादिनी मुकदमा पर नोटिस तामील हुई। वादिनी न्यायालय में उपस्थित हुई। वादिनी द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादिनी मुकदमा अन्तिम आख्या को आगे चलाये जाने व प्रोटेस्ट करने की इच्छुक नहीं है। वादिनी को कोई आपत्ति नहीं है। वादिनी अब उपरोक्त मुकदमें में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। वादिनी अपनी अन्तिम रिपोर्ट समाप्त करवाना चाहती है। उसके द्वारा अंतिम रिपोर्ट पुष्ट कर वाद को समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि मुकदमा उपरोक्त में वादिनी मुकदमा द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट सं०- 69/2020 दिनांकित 12.08.2020 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत। **अंतिम रिपोर्ट सं०- 69/2020 दिनांकित 12.08.2020**, मु०अ०सं०- 31/2020 अन्तर्गत धारा- 376, 313, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना-कैण्ट, जनपद-अयोध्या में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मुकदमें की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 05.06.2025

(सतीश कुमार मगन)

**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम,
अयोध्या।**

J.O.Code-UP2226

